राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईटः– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.55 ( )विविध/21/कोरोना/SPL-3 दिनांकः– 26/04/2021

1. **उप निदेशक (क्षेत्रीय),**
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त राजस्थान।

2. **आयुक्त,**
   नगर निगम,
   समस्त राजस्थान।

3. **आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,**
   नगर परिषद/पालिका,
   समस्त राजस्थान।

विषय :– कोविड–19 से होने वाली मृत्यु पश्चात पार्थिव देह के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड–19 से होने वाली मृत्यु पश्चात पार्थिव देह के सहसम्मान अंतिम संस्कार हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन दिनांक 07.09.2020 व विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र क्रमांक SP-2 दिनांक 24.04.2021 द्वारा जारी निर्देशों की निरंतरता में समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. मेडिकल कॉलेज/सैटेलाईट हॉस्पिटल/सबडिविजन हॉस्पिटल से पार्थिव देह के अंतिम संस्कार हेतु एम्बुलेंस/शव वाहन/मोक्ष वाहिनी की व्यवस्था सम्बन्धित नगरीय निकाय (जिसके क्षेत्राधिकार में मृत्यु हुई हो) द्वारा अन्तिम संस्कार स्थल तक की जायेगी। कोविड जनित मृत्यु की स्थिति में यदि परिजन उसका दाह संस्कार पैतृक स्थान (निकाय के क्षेत्र के बाहर) करना चाहते है तो संबंधित स्थानीय निकाय (जिसके क्षेत्राधिकार में मृत्यु हुई हो) जिला कलक्टर को सूचित कर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाऐ एवं अंतिम संस्कार स्थल की निकाय द्वारा अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी नगर पालिकायें जहां मेडिकल कॉलेज/सैटेलाईट हॉस्पिटल/सबडिविजन हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, के क्षेत्राधिकार में भी कोविड–19 जनित मृत्यु की पार्थिव देह के अंतिम संस्कार का व्यय अंतिम संस्कार स्थल से संबंधित निकाय द्वारा किया जायेगा
2. अंतिम संस्कार स्थल ग्रामीण क्षेत्र होने की स्थिति में अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक व्यवस्था की मॉनिटरिंग संबंधित उप खंड अधिकारी के स्तर पर की जाएगी। (स्थानीय निकाय द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जावेगी)।
3. एम्बुलेन्स/शव वाहनी की दरें जिले की सभी निकायों के लिए संबंधित जिला कलक्टर स्तर पर अधिकृत कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी, अधिकांश निकायों में एम्बुलेन्स/शव वाहनी दिनांक 24.04.2021 को जारी आदेश की पालना में किराये पर ले ली गयी है, उनकी निर्धारित दरों की भी कार्योत्तर स्वीकृति उक्त कमेटी से ले ली जावें।

Scanned with CamScanner

अतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन दिनांक 07.09.2020 का अध्ययन कर उसकी पालना सुनिश्चित करते हुये पर्याप्त मात्रा में एम्बूलेंस/शव वाहन/मोक्ष वाहिनी की व्यवस्था तथा अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करावे, जिससे की मृतक की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुऐं सम्मानपूर्वक हो सके। सूचना प्रत्येक दिवस को निदेशालय की निर्धारित गुगल ड्राईव पर अपडेट करना सुनिश्चित करें तथा कंट्रोल रूम को 24 घंटे संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांक :— एफ.55 ( )विविध/21/कोरोना/ SPL-3
दिनांकः— 26/04/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4 निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5 संभागीय आयुक्त, समस्त राज.।
6 जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
7 अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
8 निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
9 सम्बन्धित अधिकारीगण/कार्मिक, निदेशालय को पालनार्थ एवं गुगल ड्राईव पर निकायों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का आंकलन कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करेगें।
10 उप निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय।
11 प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईटर पर अपलोड़ करने हेतु।
12 सुरक्षित पत्रावली

26/4/2021
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020

जयपुर, दिनांक : 07.09.2020

आदेश

जैसा कि विदित है कि कोविड–19 के संक्रमण को रोकने हेतु वर्तमान में कोविड–19 से होने वाली मौतों या मृत्यु के पश्चात कोविड टेस्ट कराये जाने पर पॉजिटिव पाये गये व्यक्ति की देह को उनके परिजनों को नहीं दिया जाकर उसका अंतिम संस्कार मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नगर निगम/स्थानीय निकाय के कार्मिकों द्वारा सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए किया जा रहा है। मृतक का अंतिम संस्कार परिजनों के द्वारा एवं पैतृक स्थान पर ना किया जा सकना उनको इस दुखदायी घडी में अत्यन्त असहनीय एवं पीडादायक होता है।

विशेषज्ञों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कोविड–19 संक्रमण Droplets से फैलता है। यदि मृतक देह को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समुचित सावधानियां अपनाते हुए संभाला जाये तो मृतक देह से कोविड–19 संक्रमण फैलने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों में उल्लेख है किः–

"The main driver of transmission of COVID-19 is through droplets. There is unlikely to be an increased risk of COVID infection from a dead body to health workers of family members who follow standard precautions while handling body"

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक D.O. No. Z.28015/131/2020-EMR Dated 14-06-2020 के अनुसार निर्देशित किया गया है कि –

The issue raised regarding deaths of suspect covid patients and dead bodies not being handed over to the relatives pending confirmation of test report by the hospitals.

I would like to clarify that the dead bodies of such suspected COVID cases should be handed over to their relatives immediately and laboratory confirmation of COVID should not be awaited. These bodies can as a matter of abundant precaution be disposed as per the "Guidelines on dead body management" available on the website of Ministry of Health & Family Welfare dated 15-03-2020.

If such death cases test positive eventually, then the requisite action for contact listing, tracking etc, should be carried out subsequently.

Scanned with CamScanner

विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त राय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश, तथा कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गये आदेश के क्रम में विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित प्रकिया व आमजन की भावनाओं के अनुरूप मृतक देह के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. प्रत्येक मृतक की कोविड–19 जांच करवाया जाना आवश्यक नहीं है। केवल उसी मृतक व्यक्ति की कोविड–19 जांच की जावे जिनकी मृत्यु ILI and SARI के लक्षण से हुई हो।
2. मृतक व्यक्ति की देह कोविड–19 की जांच रिपोर्ट का इन्तजार किये बिना परिजनों को हस्तान्तरित की जा सकेगी।
3. मृतक देह का शव परीक्षण न किया जावे। यदि किन्हीं विशेष कारणों से शव परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 15.03.2020 में अंकित सभी संभव उपाय अपनाते हुए ही शव परीक्षण किया जावे।
4. अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक की देह को पूरी तरह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रूफ जिपर बॉडी बैग में पैककर निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में संबधित मृतक की जानकारी अंकित कर उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के सभी प्रोटोकॉल समझाकर तथा उनकी पालना किये जाने का शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) लेते हुए पाबन्द कर परिजनों को सुपुर्द की जावे। ऐसी स्थिति में मृतक के परिजन मृतक देह को अंतिम संस्कार हेतु अपने पैतृक स्थान के श्मशान/कब्रिस्तान पर ले जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। किन्तु संबंधित जिला प्रशासन को सूचित करने का दायित्व मृतक के परिजनों का होगा।
5. बॉडी बैग जिसमें मृतक देह पैक है, को 1 प्रतिशत हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जावे।
6. मृतक की देह को अंतिम संस्कार हेतु अस्पताल से सीधे ही श्मशान/कब्रिस्तान ले जाने का शपथ पत्र लिया जाकर परिजनों को पाबन्द किया जावे।
7. परिजनों द्वारा कोविड–19 से पोजेटिव शव को लेने की अनिच्छा जाहिर करने पर अस्पताल प्रशासन को इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानीय नगर निकाय द्वारा मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप शव का निर्धारित प्रोटोकॉल के अन्तर्गत अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसे प्रकरणों के प्रबन्धन हेतु अस्पताल मे एक हैल्प डेस्क स्थापित की जावे, जिसमें अस्पताल प्रशासन व स्थानीय निकाय का एक–एक कर्मचारी नियुक्त किया जावे।
8. अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक के परिजन/रिश्तेदारों को हिन्दी व अंग्रेजी में पूर्व मुद्रित Do's and Don'ts की सूची निम्नानुसार उपलब्ध करवाई जायेंगी।

   a- मृतक के बॉडी बैग को नहीं खोला जावे एवं मृतक देह को स्नान नहीं करवाया जावे।

Scanned with CamScanner

b- मृतक शरीर को छूना, लिपटना, गले लगना, चूमना इत्यादि न किया जावे।

c- मृतक के रिश्तेदार/परिजन मृतक देह के अंतिम दर्शन सुरक्षित दूरी से मृतक के बॉडी बैग को खोले बिना कर सकेंगे।

d- ऐसी धार्मिक रीति-रिवाज जिसमें मृतक देह को छूने की आवश्यकता नहीं हो यथा धार्मिक ग्रन्थ का पठन, पवित्र जल छिडका जाना आदि की अनुमति दी जा सकती है।

e- अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 ही होगी, जिनके द्वारा कोविड-19 के बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय मास्क, दस्ताने, सुरक्षित शारीरिक दूरी, खांसने व छींकने का शिष्टाचार, हाथों की सफाई आदि की पूर्ण पालना की जावे।

f- मृतक के अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कोविड-19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क, सामाजिक दूरी आदि का उपयोग करते हुए किया जायेगा। अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को पीपीई किट संबंधित अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।

g- अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति अंतिम संस्कार के पश्चात इस्तेमाल किये गये पीपीई किट, दस्ताने, मास्क आदि का निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार निस्तारण कर स्नान करें एवं साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोंवे तथा हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें।

9. मृतक की देह को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस बाबत अस्पताल प्रशासन व मृतक के परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्थानीय निकाय को दिया जाना आवश्यक है।

10. मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा।

11. यदि मृतक व्यक्ति के कोविड-19 की जांच पॉजिटिव पाई जाती है तो उसके संपर्क में आये व्यक्तियों की सूची तैयार कर कोविड-19 की स्कीनिंग इत्यादि करवाई जावे।

12. मृतक शरीर का परिवहन अस्पताल से श्मशान तक ले जाने में एम्बूलेंस/शव वाहन/मोक्ष वाहिनी का ही उपयोग किया जावे, निजी वाहन का नहीं।

13. यदि होम आइसोलेशन में किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजनों द्वारा संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्थानीय निकाय को सूचित किये जाने के उपरान्त मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

14. निजी एम्बूलेंस संचालकों का Orientation जिला प्रशासन द्वारा किया जावे कि यदि मृतक देह को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समुचित सावधानियां अपनाते हुए संभाला जाये तो मृतक देह से कोविड–19 संक्रमण नहीं फैलता है तथा मृतक देह का बॉडी बैग भी विसंक्रमित किया गया है।

15. मृतक शरीर के परिवहन में उपयोग में लिये गये वाहन को उपयोग पश्चात एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जावे। इस हेतु एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईट नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
8. समस्त जिला कलक्टर, राज.
9. समस्त पुलिस अधीक्षक, राज.
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर
13. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
15. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
16. समस्त निजी चिकित्सालय, राज.
17. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
18. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner

कोविड–19 से संबंधित शवों से संक्रमण से रोकने बाबत अंतिम संस्कार/सुपुर्देखाक हेतु परिजनों एवं कर्मियों के लिए दिशा–निर्देश

1- मृतक के बॉडी बैग को नहीं खोला जावे एवं मृतक देह को स्नान नहीं करवाया जावे।

2- मृतक शरीर को छूना, लिपटना, गले लगना, चूमना इत्यादि न किया जावे।

3- मृतक के रिश्तेदार/परिजन मृतक देह के अंतिम दर्शन सुरक्षित दूरी से मृतक के बॉडी बैग को खोले बिना कर सकेंगे।

4- ऐसी धार्मिक रीति–रिवाज जिसमें मृतक देह को छूने की आवश्यकता नहीं हो यथा धार्मिक ग्रन्थ क़ा पठन, पवित्र ज़ल छिडका जाना आदि की अनुमति दी जा सकती है।

5- अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 ही होगी, जिनके द्वारा कोविड–19 के बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय मास्क, दस्ताने, सुरक्षित शारीरिक दूरी, खांसने व छीकंने का शिष्टाचार, हाथों की सफाई आदि की पूर्ण पालना की जावे।

6- मृतक के अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कोविड–19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क, सामाजिक दूरी आदि का उपयोग करते हुए किया जायेगा।

7- अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति अंतिम संस्कार के पश्चात इस्तेमाल किये गये पीपीई किट, दस्ताने, मास्क आदि का निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार निस्तारण कर स्नान करें एवं साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोंवे तथा हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें।

Scanned with CamScanner

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पिता ....

निवासी ....

शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैंने मृतक का नाम ....

पिता/पति का नाम .... निवासी ....

....

एम. आर. डी. नम्बर ....सी. आर. नम्बर ....

दिनांक .... वार्ड .... यूनिट ....

मोबाईल नम्बर .... मृत्यु की दिनांक व समय व वार्ड ....

.... के शव को अन्तिम संस्कार/सुपुर्दखाक हेतु प्राप्त कर लिया है।

मुझे कोविड–19 से संबंधित शव को अस्पताल से श्मशान/कब्रिस्तान ले जाने के सभी व अंतिम संस्कार के समय बरती जाने वाली सावधानियां/दिशा–निर्देश समझा दिये गये है तथा मैं शपथ लेता हूं कि मैं एवं मेरे परिजन इनकी पालना पूर्ण रूपेण करेंगे। मुझे यह अवगत करवा दिया गया है कि शव की कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव भी आ सकती है।

हस्ताक्षर .... दिनांक ....

मृतक से संबंध ....

मोबाईल नम्बर ....

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.55( )पी.ए./सी.ई./ड़ी.एल.बी./कोरोना/21/ SP–2 दिनांकः–24.04.2021

आयुक्त, नगर निगम/नगर परिषद् समस्त
एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका
(केवल जहाँ जिला/उप जिला/सेटेलाइट चिकित्सालय
स्थित हो यथा कोटपूतली एवं केकड़ी आदि)
समस्त राजस्थान।

विषयः–कोविड़–19 जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिक देह के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार हेतु परिवहन की व्यवस्था बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्र्तगत लेख है कि राज्य में कोविड़–19 जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिक देह के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार किये जाने हेतु, परिजनों को पार्थिक देह को चिकित्सालय से शमशान/कब्रिस्तान/ग्रेवयार्ड तक परिवहन में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो, इसके लिए निर्देशित किया जाता है कि आप आवश्यक एम्बूलेन्स (पार्थिक देह परिवहन) की निःशुल्क व्यवस्था आवश्यकतानुसार कर, पार्थिक देह का चिकित्सालय से शमशान/कब्रिस्तान/ग्रेवयार्ड तक सम्मानपूर्वक परिवहन सुनिश्चित करेंगे। अन्तिम संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएँ अन्तिम संस्कार स्थल पर भली–भाँति सुनिश्चित की जावें, ऐसे प्रकरणों में अन्तिम संस्कार पर होने वाला समस्त व्यय एवं एम्बूलेन्स (पार्थिक देह परिवहन) पर होने वाला व्यय, सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

आपके स्तर पर यदि आवश्यक एम्बूलेन्स की उपलब्धता में कठिनाई हो तो सम्बन्धित जिला प्रशासन अथवा RTO/DTO के माध्यम से उक्त वाहन अधिग्रहण करवाकर, उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आम लोगों को इसकी जानकारी हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर स्थानीय चिकित्सालय, पुलिस, प्रशासन एवं आम लोगों की जानकारी में लाने के लिए स्थानीय प्रेस के माध्यम से प्रसारित करें। उक्त एम्बूलेन्स स्थानीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चिकित्सालय/स्थानीय निकाय में रहेगी तथा पार्थिक देह के परिवहन हेतु सूचना प्राप्त होते ही, इस कार्य के लिए संधारित रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर, सम्बन्धित व्यक्ति के नम्बर व पता देकर, नियंत्रण कक्ष द्वारा पर्ची जारी कर, अविलम्ब रवाना की जायेगी एवं वापसी में रजिस्टर में वापस प्रविष्टि अंकित की जायेगी। कोविड़–19 जनित लावारिस लोगों की मृत्यु के प्रकरणों में पूर्व की भाँति ही अन्तिम संस्कार की समस्त व्यवस्था निर्धारित कोविड़ प्रोटोकॉल के अनुसार, सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा ही की जायेगी। उक्त समस्त व्यवस्थाएँ सम्बन्धित जिला कलक्टर के निर्देशन में स्थानीय निकाय द्वारा सम्पादित की जायेगी।

यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Scanned with CamScanner